भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 835

उत्तर देने की तारीख: 23.07.2026

ओडिशा में पीएम-जनमन के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए छात्रावास

†835. श्री बैजयंत पांडा:

क्या **जनजातीय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधान मंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम-जनमन) के अंतर्गत ओडिशा में अनुसूचित जनजाति (एसटी) के छात्रों के लिए निर्मित छात्रावासों की संख्या कितनी है;

(ख) वित्त वर्ष 2024-25 और 2025-26 के दौरान ओडिशा में ऐसे छात्रावासों के निर्माण पर कुल कितना व्यय हुआ है; और

(ग) क्या सरकार का विचार ओडिशा में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे अनुसूचित जनजाति (एसटी) के छात्रों के लिए छात्रावास और संबद्ध बुनियादी ढांचा सुविधाओं का और विस्तार करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्य मंत्री

(श्री दुर्गादास उइके)

(क) और (ख): 18 राज्यों और एक संघ राज्य क्षेत्र में रहने वाले 75 पीवीटीजी समुदायों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन) शुरू किया गया था। पीएम जनमन के तहत, शिक्षा मंत्रालय, स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार, ओडिशा राज्य में समग्र शिक्षा के माध्यम से 122.43 करोड़ रुपये के केंद्रीय हिस्से सहित 204.05 करोड़ रुपये की कुल लागत के साथ स्वीकृत छात्रावासों का विवरण निम्नानुसार हैः

स्वीकृत (सं.)	**पूर्ण (सं.)**
76	0

वित्त वर्ष 2024-25 और वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान, ओडिशा राज्य को कोई निधियां जारी नहीं की गई थी।

(ग): धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीएजेजीयूए) के तहत, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने ओडिशा राज्य में अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए कुल 92 छात्रावासों को अनुमोदन दिया है। इसके अलावा, शिक्षा मंत्रालय, स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने ओडिशा राज्य में 40 छात्रावासों को अनुमोदन दिया है।
